फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

तहसीलदार बाड़मेर बनाम .....ग्राम पंचायत महाबार.....
(मुरटाला गाला)

किस्म मुकदमा – रास्तो का निराकरण मुकदमा संख्या 281 / वर्ष 2021

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 एवं 136 तथा राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख अधिनियम 1957)

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशयल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
29.12.2021	राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6)विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं प.3(17)राज–6 / 2021पार्ट / 91 दिनांक 30.09.2021 की पालना में सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि / निजी खातेदारी की भूमि में मौके पर स्थाई रूप में चालू (कदीमी) परन्तु राजस्व अभिलेख में किसी रूप में दर्ज नही है को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के पत्रांक दिनांक 25.12.2021 के द्वारा मौजा महाबार पीथल में निम्नानुसार भूमि में स्थाई रास्ते के रूप में खातेदार के खाते में राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु प्राप्त हुआ हैः–	

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	किस्म	कुल रकबा (बीघा में)	रास्ते की लम्बाई –चौडाई (गट्ठा में)	रास्ते में प्रभावित रकबा (बीघा में)
1	2	3		4	5	6
1	ग्राम पंचायत मुरटाला गाला	2507 / 522	गै.मु. औरण	114.14	132 X 05	01.13 बीघा
2	ग्राम पंचायत मुरटाला गाला	2493 / 522	गै.मु. औरण	98.10	280 X 05	3.10 बीघा
	योगः–	02	–	–	412 X 10	5.03 बीघा

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि आवेदन में अंकित खसरा में ग्राम महाबार में स्थायी रास्ता जो गांव महाबार से अड़गड़ानंद आश्रम जाने वाली डामर सड़क को ग्राम महाबार पीथल की आबादी भूमि व आस–पड़ोस की ढ़ाणीयों से जोड़ता है जिसकी लम्बाई 0.80 कि.मी. है। (संलग्न नक्शे में अंकित बिन्दु A से B व C से D मुरड़ा सड़क बनी हुई है व बिन्दु संख्या E से F व G से H व I से J कदीमी रास्ता है।) यह रास्ता सरकारी भूमि गैर मुमकिन औरण में से निकल रहा है जिसकी जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रतिलिपि सलंग्न है। सलंग्न नक्शे में चल रहे रास्ते को बरंग हरा दर्शाया गया है। यह रास्ता बारहमासी है।

अतः तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा महाबार पीथल पटवार मण्डल महाबार तहसील एवं जिला बाड़मेर की उपरोक्त वर्णित भूमि स्थाई रास्ते के रूप में जो सलंग्न नक्शा में हरा रंग से दर्शाई गई है को सम्बधित खातेदार (राजस्थान सरकार) के खाते में राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार दर्ज कर नक्शा में तरमीम करावें। नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश सरे ईजलाश मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर